

कार्यालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी—

श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख फैसला

63/प्रा.पत्र/2020

21.10.2020

11.08.2021

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी।

—प्रार्थी

—बनाम—

1. श्री बृजराज मीणा पुत्र श्री बाबूलाल मीणा निवासी—वार्ड नं. 20, शिव नगर, कापरेन, जिला बून्दी, मालिक मैसर्स जय अम्बे किराना स्टोर, शक्ति चौराहा, कापरेन, जिला बून्दी।
2. मैसर्स जय अम्बे किराना स्टोर, शक्ति चौराहा, कापरेन, जिला बून्दी।
3. श्री गिरिराज किशोर मितल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद मितल, निवासी—म.नं. 123, वल्लभबाडी, गुमानपुरा, कोटा, मालिक मैसर्स श्री महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज, अग्रसेन बाजार, कोटा।
4. मैसर्स श्री महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज, अग्रसेन बाजार, कोटा।

—अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपरिस्थित—

प्रार्थी की ओर से—श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से—श्री प्रकाशचन्द भण्डारी एड0

—: निर्णय :-

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना-पत्र में निम्नांकित बिन्दु अंकित किये हैं:-

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 06.09.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 832 दिनांक 29.09.2019 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

अतिरिक्त जिला मजि.
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी

ABN

अधिकारी बून्दी आंवटित किया गया है और बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं।

2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2019 को समय 01:00 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु मैसर्स जय अम्बे किराना स्टोर, शक्ति चौराहा, कापरेन जिला बून्दी पर पहुंचा। वहां पर श्री बृजराज मीणा पुत्र श्री बाबूलाल मीणा निवासी-वार्ड नं. 20, शिव नगर, कापरेन जिला बून्दी, विक्रेता एवं फर्म के मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वारंते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिसका उल्लेख मौका फर्द में हैं।
3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर दुकान में बेसन चक्की वाला ब्राण्ड पौली पैक पैकेट का खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। उक्त खाद्य पदार्थ बेसन चक्की में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, बेसन चक्की वाला ब्राण्ड पौली पैक के 1-1 केजी के चार पैकेट लिया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु. 280/- नगद देकर रसीद प्राप्त की।
4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ बेसन चक्की वाला ब्राण्ड के चारों पौकियों के नमूने लिये। प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू-1418 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू-1418 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार-चार जगह नियमानुसार ब्रास सील से मोहर चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होंने चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।
5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की आठ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.-6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को दिनांक 30.10.2019 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।
6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/06-08 दिनांक 01.01.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज., कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 614/कोटा एक्ट/2019/645 दिनांक

अतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट

कोटा

29.11.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया बेसन, मिसब्राण्ड (Misbranded) पाया गया।

7. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/स्वी./यू-1418/ के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ बेसन का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करना चाहा तथा प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाप्त की गई।

बवक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता न्यायालय में उपस्थित जिन्होंने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगण अपने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ बेसन का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन एवं बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दोराने बहस में व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य पदार्थ बेसन में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई हैं। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जान माल की हानि हो। सहानुभूति का रुख अपनाते हुए लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निर्णय पारित करने की कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण पर मनन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना बेसन खाद्य विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान पर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ बेसन का बिना खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से दोषी है। अतः अप्रार्थीगण का कृत्य दोषसिद्ध होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 को 5,000/- (अक्षरे-पांच हजार रुपये), अप्रार्थी संख्या 2 को 5,000/- (अक्षरे-पांच हजार रुपये), अप्रार्थी संख्या 3 को 5,000/- (अक्षरे-पांच हजार रुपये) एवं अप्रार्थी संख्या 4 को 10,000/- (अक्षरे-दस हजार रुपये) कुल राशि 25,000/- (अक्षरे-पच्चीस हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

न्याय निर्णय अधिकारी
बून्दी (राज०)

निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/8

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

(अमानुल्लाह खान, RAS)

न्याय निष्पत्ति अधिकारी एवं
बून्दी (राज.)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी